भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2511

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

केरल के सहकारी बैंक

2511. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल बैंक और केरल के सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केरल बैंक और केरल के सहकारी बैंकों में जमा राशि के लिए गारंटी सुनिश्चित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या यह केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है कि केरल सरकार ने नव घोषित योजनाओं को लागू करने के लिए केरल बैंक और सहकारी बैंकों से धन एकत्र करने का निर्देश दिया;

(च) यदि हां, तो जमा राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या सरकार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त बैंकों में पारदर्शिता और सहकारी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखते हैं;

(ज) यदि हां, तो अधिशेष धन जुटाने की प्रक्रिया के संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(झ) केरल में सहकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा और दुरुपयोग से बचाव के लिए सरकार द्वारा कौन-सी पहल की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केरल राज्य सहकारी बैंक और 58 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) सहित केरल में सहकारी बैंकों, जिन्हें भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ग) से (घ): डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) भारत में जमा बीमा योजना का नियंत्रण करता है, जो 5 लाख रुपये तक की जमाराशियों (मूलधन और ब्याज सहित) का बीमा करता है और वर्तमान में उन सभी सहकारी बैंकों को भी शामिल करता है जिन्हें केरल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है। डीआईसीजीसी ने पिछले पांच वर्ष के दौरान केरल में 03 सहकारी बैंकों के लिए 549.27 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है।

(ड.) से (च): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से धन जुटाकर नई घोषित योजनाओं को लागू करने के निर्देशों के संबंध में केंद्र सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) से (झ): सहकारी बैंकों की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा तैयार किया है ताकि उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप सक्षम बनाया जा सके और शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जा सके कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपाय शुरू करें और कार्यान्वित करें।
- यूसीबी (100 करोड़ रुपए से कम की जमाराशि आकार वाले और वेतनभोगी बैंक से इतर) को पेशेवर प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और अपनी बैंकिंग संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने लिए एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) का गठन करना आवश्यक है।
- शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करेंगे कि संभावित धोखाधड़ी के मामलों/खातों में संदिग्ध गतिविधियों पर व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों की जांच की जाए और उनकी व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- नाबार्ड ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करने और उन्हें धोखाधड़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता के संबंध में जागरूक करने के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण के रूप में धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक (विन्फ्रा) पेश किया है।

*****